प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला.....**भ्र0 नि0 ब्यूरो, चौकी करौली**.....थाना..... **प्र0आ0 केन्द्र,भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर**.....
(प्र.सू.रि.स.) .....78/22.....दिनांक) .....09/03/2022.....
2. (अ) अधिनियम ...**भ्र0 नि0 (संशोधित) अधि. वर्ष 2018**..... धारायें.....**7**.....
(ब) अधिनियम .....धारायें.....
(स) अधिनियम .....धारायें.....
(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या .....182.....समय.....6.05 PM.....
(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक .....**मंगलवार / 08.03.2022 / 10:35 ए.एम**.....
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक .....**06.03.2021**.....समय .....**12:30 पी.एम**.....
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – **लिखित रिपोर्ट**
5. घटनास्थल.....**कस्बा सूरौठ़ स्थित आरोपी के किराये का ऑफिस**.....
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी .....**बजानिव दिशा उत्तर–पूर्व, दूरी करीब 50 कि.मी**.....
(ब) पता .....बीट सख्या .....जरायम देही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना.....जिला.....
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम .....**श्री मोहन स्वरूप शर्मा**.....
(ब) पिता / पति का नाम .....**श्री ताराचन्द शर्मा**.....जाति.....**ब्राहमण**.....
(स) जन्म तिथि / वर्ष .....**50 वर्ष**.....
(द) राष्ट्रीयता.....**भारतीय** .....
(य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....जारी होने की जगह.....
(र) व्यवसाय.....
(ल) पता.....**पुष्प वाटिका कोलोनी, पुलिस थाना मथुरा गेट भरतपुर**.....
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
1– हीरा सिंह गंधार पुत्र अमृत सिंह, उम्र 27 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम जटवाड़ा, पुलिस थाना सूरौठ़, जिला करौली हाल पटवारी, पटवार हल्का धंधावली, तहसील सूरौठ़, जिला करौली।
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–.....**कोई नही**.....
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....
.....**2,000 / –रू0 रिश्वत राशि** .....
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्य पंचनामा / यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).....
.....**2,000 / –रू0 रिश्वत राशि** .....
11. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0) (यदि कोई हो तो) .....**नहीं**.....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये):–

सेवामें, श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली विषय भ्रष्ट पटवारी को रिश्वत लेते पकडवाने के क्रम मे:–महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी के ससुर साहब श्री भाग्यमल शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 14–1–21 को बीमारी के कारण जयपुर मे हो गया। उनकी गावं सोहनपाल का पुरा तह. सूरौठ जिला करौली मे करीब 55 बीघा कृषि भूमि है। उनके स्वर्गवास होने के बाद उनकी कृषि भूमि आदि की देखभाल प्रार्थी द्वारा की जा रही है। पूर्व मे उनकी कृषि भूमि का नामांतरण उनके बारीसान के नाम खुलवाया तब हल्का पटवारी हीरासिंह ने 5000 रुपये लेकर नांमातरण खोला। दिनांक 27–12–21 को प्रार्थी को की पत्नी व अन्य बहिनो द्वारा अपने हिस्से की कृषि भूमि को अपने दोनो भाईयों विष्णु व मनीष के नाम रिलीज करा दी गयी । प्रार्थी द्वारा रिलीज डीड को विष्णु व मनीष के नाम नामांतरण खोलने हेतु पटवारी हीरासिंह को दे दिया मगर वह 5000 रुपये की मांग कर रहे है और अभी तक नामांतरण नही खोला है। प्रार्थी दिनांक 26–2–22 को नामांतरण के संबंध मे मिलने गया तो पटवारी ने 5000 रुपये देने पर ही नामांतरण खोलने को कहा जिस पर

प्रार्थी द्वारा दिनांक 26–2–22 को दो हजार रुपये उनको दे दिये मगर 3000 रुपये की और मांग कर रहा है। प्रार्थी पटवारी हीरासिंह को रिश्वत न देकर उसे रंगे हाथ रिश्वत देकर पकडवाना चाहता है। प्रार्थी की पटवारी हीरासिंह से कोई दुश्मनी नही है। पटवारी हीरासिंह हल्का ग्राम धंधावली तह. सूरौठ जिला करौली के विरुद्ध कार्यवाही की जावे रिपोर्ट पेश है। दिनांक 6–3–22 हस्ता. प्रार्थी मोहनस्वरुप शर्मा पुत्र श्री ताराचन्द शर्मा जाति ब्रहमण निवासी पुष्पवाटिका कोलोनी पुलिस थाना मथुरागेट भरतपुर Mob No-9413243895

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 06.03.2022 को समय 12:30 पी.एम. पर परिवादी श्री मोहनस्वरुप शर्मा पुत्र श्री ताराचन्द शर्मा, उम्र 50 साल जाति ब्रहमण निवासी पुष्पवाटिका कोलोनी पुलिस थाना मथुरागेट भरतपुर नें उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित रिपोर्ट मय स्वंय के आधार कार्ड की फोटोप्रति के भ्रष्ट पटवारी को रिश्वत लेते पकडवाने के क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करौली के पदनाम से सम्बोधित कर श्री अमर सिंह, उप अधीक्षक पुलिस को पेश की। परिवादी श्री मोहनस्वरुप शर्मा से लिखित रिपोर्ट के सम्बंध में मजीद दरियाफ्त की गई तो रिपोर्ट स्वयं द्वारा हस्तलिखित व स्वयं के हस्ताक्षर होना तथा अंकित तथ्य सही होना बताते हुए बताया कि मैं पुष्पवाटिका कोलोनी पुलिस थाना मथुरागेट भरतपुर का रहने वाला हूं। प्रार्थी के ससुर साहब श्री भाग्यमल शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 14–1–21 को बीमारी के कारण जयपुर मे हो गया। उनकी गावं सोहनपाल का पुरा तह. सूरौठ जिला करौली मे करीब 55 बीघा कृषि भूमि है। उनके स्वर्गवास होने के बाद उनकी कृषि भूमि आदि की देखभाल प्रार्थी द्वारा की जा रही है। पूर्व मे उनकी कृषि भूमि का नामांतरण उनके बारीसान के नाम खुलवाया तब हल्का पटवारी हीरासिंह ने 5000 रुपये लेकर नांमातरण खोला। दिनांक 27–12–21 को प्रार्थी को की पत्नी व अन्य बहिनो द्वारा अपने हिस्से की कृषि भूमि को अपने दोनो भाईयों विष्णु व मनीष के नाम रिलीज करा दी गयी । प्रार्थी द्वारा रिलीज डीड को विष्णु व मनीष के नाम नामांतरण खोलने हेतु पटवारी हीरासिंह को दे दिया मगर वह 5000 रुपये की मांग करने लगा और नामांतरण नही खोला है। जिस पर प्रार्थी दिनांक 26–2–22 को नामांतरण के संबंध मे जरिये मोबाईल सम्पर्क कर पारस हॉस्पिटल के पास हिण्डौनसिटी मे मिलने गया तो पटवारी ने 5000रुपये देने पर ही नामांतरण खोलने को कहा जिस पर प्रार्थी द्वारा उसी समय पटवारी को दो हजार रुपये दे दिये मगर 3000 रुपये की और मांग करने लगा जिस पर मन प्रार्थी ने रुपये नही होकर आयन्दा देने का वाहना बनायाजिस पर पटवारी ने 3–4 दिन बाद सम्पर्क कर शेष 3000 रुपये देने के लिये कहा है। प्रार्थी पटवारी हीरासिंह को रिश्वत न देकर उसे रंगे हाथ रिश्वत लेते हुये पकडवाना चाहता है। प्रार्थी की पटवारी हीरासिंह से कोई दुश्मनी नही है। पटवारी हीरासिंह हल्का ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ, जिला करौली के विरुद्ध कार्यवाही की जावे। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि की मांग का पाया जाने पर रिश्वत मांग सत्यापन करवाये जाने हेतु मालखाना से विभागीय वॉईस रिकार्डर (पैन ड्राईव नुमा) निकलवाकर परिवादी श्री मोहनस्वरुप शर्मा को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को रिकार्ड करने के लिए विभागीय वॉईस रिकार्डर को चालू एवं बन्द करने की विधि समझाई गई। वॉईस रिकार्डर को खाली किया जाकर श्री श्याम सिंह कानि. को बाद हिदायत सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि परिवादी को आरोपी के पास भेजने से पूर्व वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर सुपुर्द करें तथा रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी वार्ता होने के बाद परिवादी के वापिस आने पर वॉईस रिकार्डर उससे प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर आवे तथा वापस कार्यालय में आकर पेश करें। फर्द सुपुर्दगी वाईस रिकार्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। समय 01:20 पी.एम. पर परिवादी ने बताया कि मै हिण्डौन सिटी पहुंच कर पटवारी हीरासिंह से जरिये

मोबाईल सम्पर्क कर उनसे मिलने के स्थान के बारे मे पुछकर उनके द्वारा बताये स्थान पर रिश्वत की मांग के संबंध मे वार्ता करुंगा जिस पर श्री श्यामसिंह कानि. व परिवादी श्री मोहनस्वरुप शर्मा को स्वयं की निजि कार से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के कहे अनुसार हिण्डौन सिटी के लिए बाद हिदायत रवाना किया गया जो बाद सत्यापन समय 05:00 पी.एम. पर उपस्थित कार्यालय आये। परिवादी ने पूछने पर बताया कि मै और श्याम सिंह कानिस्टेबल मेरी कार से आपके कार्यालय से रवाना होकर हिण्डोन जा रहे थे कि रास्ते मे हीरासिह पटवारी का मेरे मोबाईल पर फोन आया जिस पर मेने कहा कि मुझे आपके पास पहुचने मे टाईम लगेगा मै आपके पास आधे घंटे मे पहुंच जाउंगा। पटवारी ने कहा कि मै जटवाडा मोड के पास सूरौठ में हू आप यही आ जाना। कुछ देर बाद फिर फोन आ गया जिस पर मेने उसको 10–15 मिनट मे पहुचने का बताया। मेने जटवाडा मोड सूरौठ के पास पहुंच कर पटवारी हीरासिंह को फोन किया तो उसने जटवाडा मोड पर प्रेमसिंह की दुकान पर मिलना बताया। इस पर आपके कानिस्टेबल श्याम सिंह ने कार के पास वाईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय बोलकर मुझे सुपुर्द कर दिया जिस पर मैं प्रेमसिंह की दुकान पूछकर पटवारी के पास पहुचा तो पटवारी मोबाईल की दुकान पर बैठा हुआ मिला व मेरे काम के बारे मे बात कि तो पटवारी ने मूल कागजात जल्द पेश करने की कहा व पूर्व की मांग अनुसार 3000 रुपये मांगे जिस पर मेने पर्स दूसरी गाडी मे बैग मे रहना बताया व जेब मे रखे 1000 रुपये पटवारी हीरासिंह को दे दिये शेष 2000 रुपये कल सुबह 9.00 बजे से 5.00 बजे के मध्य पटवार घर मे देने के लिये कहा है। मै वहां से कैलादेवी जाने की कहकर वापस अपनी कार के पास आया और वाईस रिकॉर्डर श्याम सिंह कानिस्टेबल को सुपुर्द कर दिया। जिसने बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। मैने श्याम सिंह कानि को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की बाते बताई व हम दोनो मेरी कार से सूरौठ से रवाना होकर आपके कार्यालय मै आये है वॉईस रिकार्डर श्याम सिंह कानि के पास है। श्री श्याम कानि ने पूछने पर परिवादी के कथनो की ताईद की। जिस पर श्री श्याम सिंह कानि. से वाईस रिकार्डर जरिये फर्द वापसी प्राप्त किया गया एवं वाईस रिकार्डर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर वॉईस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड वार्ता को कम्प्यूटर के डेस्कटॉप पर सेव किया जाकर कम्प्यूटर से टेबल स्पीकर कनेक्ट कर डेस्कटॉप पर सेव रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को टेबल स्पीकर की मदद से सुना जाकर परिवादी से पूछ–पूछ कर आवाज की पहचान करवाकर फर्द रूपान्तरण तैयार करवाया गया तथा कम्प्यूटर की मदद से उक्त वार्ता की 3 सोनी कम्पनी की DVD क्रमश–मूल प्रति, मुल्जिम प्रति एवं आई.ओ. प्रति तैयार करवाई जाकर मार्क ''A'' अंकित कर डीवीडीयों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मूल व मुल्जिम प्रति DVD को अलग–अलग सफेद कपडे की थैलियों में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा ए.सी.बी. लिया गया एवं आई.ओ. प्रति डी.वी.डी. को सफेद कपडे की थैली में रखकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली पर खुला रखा गया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट तथा मुताबिक फर्द ट्रासक्रिप्ट वक्त रिश्वत मांग सत्यापन से आरोपी हीरासिंह पटवारी द्वारा परिवादी श्री मोहनस्वरुप शर्मा से रिलीज डीड का नामांतरण खोलने की एवज में पूर्व की मांग अनुसार 3000 रुपये रिश्वत की मांग कर 1000 रुपये प्राप्त करना व शेष 2000 रुपये मांग करना पाया गया। मूल व मुल्जिम प्रति शील्ड कुल 2 DVD को मालखाना करवाया जाकर समय 08:00 पी.एम. पर परिवादी को आरोपी द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि 2000 रुपये लेकर दिनांक 07.03.2022 को समय 10:00 ए.एम. पर कार्यालय मे उपस्थित होने की हिदायत कर रुकसत किया गया। श्री अमर सिंह उप अधीक्षक पुलिस की वर्ष 2021–22 मे पुलिस निरीक्षक से उप अधीक्षक पुलिस के पद पर पदोन्नाति होने पर ब्यूरो मुख्यालय के आदेशानुसार इण्डेक्शन कोर्स हेतु राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर मे उपस्थिति देने हेतु जयपुर जाने के कारण ब्यूरो चौकी करौली का चार्ज मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द

किया जाने पर चौकी चार्ज के साथ में ट्रेप पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई है जिसका अवलोकन किया गया। दिनांक 07.03.2022 को समय 11:30 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी उपस्थित कार्यालय आया जिससे नाम पता पूछा एवं परिवादी ने दरियाप्त पर श्री अमर सिंह, पुलिस उप अधीक्षक को दिनांक 06.03.2022 को स्वयं द्वारा हस्तलिखित रिपोर्ट पेश करना बताया एवं की गई कार्यवाही की ताईद की व बताया कि अभी–अभी मेरे पास हीरा सिंह पटवारी का फोन आया और उसने कहां कि मैने आपका सुबह 11 बजे तक इन्तजार किया था लेकिन आपके नही आने पर मैं राज्यकार्य से फील्ड में चला गया हूं। मैने कहां कि मैं अभी कैलादेवी हूं और करौली में मदन मोहन जी के दर्शन कर आपके पास आउंगा। इस पर पटवारी ने कहा कि आप शाम को करीब 5 बजे फोन कर मेरे से एक बार बात कर लेना। परिवादी द्वारा वक्त रिश्वत लेन–देन के समय आरोपी के दी जाने वाली मूल रिलीज–डीड पेश की जिसका अवलोकन किया गया। उक्त रिलीज डीड–कृषि भूमि में परिवादी गवाह संख्या 2 है एवं परिवादी का फोटो भी लगा हुआ है तथा हस्ताक्षर भी है तथा रिलीज डीड में रिलीजकर्ता क्रम सं 2 पर अंकित सुनीता को परिवादी ने अपनी पत्नी होना बताया। मूल रिजीज–डीड परिवादी को सुपुर्द की जाकर स्वप्रमाणित फोटोप्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी की लिखित रिपोर्ट तथा मुताबिक फर्द ट्रासक्रिप्ट वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता आदि कार्यवाही से आरोपी हीरासिंह पटवारी, पटवार हल्का धंधावली, तहसील सूरौठ द्वारा परिवादी श्री मोहनस्वरुप शर्मा से ललिता, सुनीता, सुषमा व रमादेवी द्वारा रिलीज डीड–कृषि भूमि का मनीष व विष्णु के नाम नामांतरण खोलने की एवज में पूर्व की मांग अनुसार 3000 रुपये रिश्वत की मांग कर 1000 रुपये प्राप्त करना व शेष 2000 रुपये की मांग कर आज दिनांक 07.03.2022 को सुबह 09:00 बजे से 05:00 बजे के मध्य पटवार घर सूरौठ मे बुलाया गया है, लेकिन परिवादी के कहे अनुसार समय करीब 5 बजे आरोपी पटवारी से जरिये मोबाईल वार्ता करवाई गई। परिवादी ने फोन कट कर बताया कि पटवारी जी अभी फील्ड में और कल सुबह 10 बजे पटवार घर सूरौठ में आने की कह रहे है। इस पर ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग करौली से जरिये विशेष वाहक स्वतंत्र गवाहान तलब करने पर कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग करौली स्वतंत्र गवाहान क्रमशः श्री मनीष चन्द गुप्ता पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता, उम्र 31 वर्ष, जाति महाजन, निवासी बालाजी चौक, ट्रक यूनियन के पास गंगापुर सिटी, पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग करौली व श्री लाल बहादुर चतुर्वेदी पुत्र श्री मदन मोहन चतुर्वेदी, उम्र 36 वर्ष, जाति चतुर्वेदी, निवासी ग्राम पोस्ट सायपुर, पुलिस थाना कुड़गांव, जिला करौली हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग करौलीहोना बताया। स्वतंत्र गवाहान को कार्यवाही से अनभिज्ञ रखा जाकर दिनांक 08.03.2022 को समय 08:00 एम पर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत कर रूकसत किया गया व परिवादी को भी दिनांक 08.03.2022 को समय 08:00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत कर रूकसत किया गया। दिनांक 08.03.2022 को समय 08:05 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी मोहन स्वरूप शर्मा उपस्थित कार्यालय आया व बताया कि पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 2000/–रूपये मेरे पास है। इस पर परिवादी को कार्यालय में बिठाया गया। समय 08:10 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहान श्री मनीष चन्द गुप्ता कनिष्ठ सहायक एवं श्री लाल बहादुर चतुर्वेदी कनिष्ठ सहायक उपस्थित कार्यालय आये एवं स्वतंत्र गवाहान व परिवादी का आपस में परिचय करवाया गया एवं परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट पढने को दी गई। उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान ने ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति दी एवं परिवादी द्वारा पेश शुदा रिपोर्ट पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रमाण स्वरूप अपने–अपने हस्ताक्षर किये एवं स्वतंत्र गवाहान को

अब तक की कार्यवाही से अवगत कराया गया। इसके पश्चात मौतबिरान के सामने परिवादी श्री मोहनस्वरुप शर्मा ने मांगने पर आरोपी हीरासिह पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के 4 नोट कुल 2,000/–रूपये अपने पास से निकालकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्रम संख्या	नोटों का विवरण	नोटों के नम्बर
1	एक नोट 500 रूपये का	1 DD 633425
2	एक नोट 500 रूपये का	1 DD 633426
3	एक नोट 500 रूपये का	1 DD 633427
4	एक नोट 500 रूपये का	1 DD 633428

उपरोक्त पेश शुदा नोटों को गवाहान को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात श्री राकेश सिंह कानि. 268 से मालखाने से फिनोफ्थलीन पाऊडर का डिब्बा निकलवाकर मंगाया जाकर श्री राकेश सिंह कानि. से एक अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर 2,000 रूपये के उपरोक्त नोटो पर भली–भांति फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री मोहनस्वरुप शर्मा की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह लाल बहादुर चतुर्वेदी कनिष्ठ सहायक से लिवाई जाकर उनके पास पहने हुये कपडों तथा मोबाईल फोन के अलावा मूल रिलीज–डीड तथा पेन्ट की पीछे की जेब में रखे पर्स में 400 रूपये होना पाये गये। जिस पर परिवादी ने उक्त 400 रूपये खर्चा पानी के होना बताया। इसके अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं पाई गई। इसके बाद श्री राकेश सिंह कानि. से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुये 2,000 रूपये के नोट परिवादी श्री मोहनस्वरुप शर्मा द्वारा पहनी हुई पेन्ट की पीछे की जेब में रखे पर्स में अलग से रखवाये गये तथा परिवादी को समझाईस की गई कि अब इन पाऊडरयुक्त नोटों को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही निकालकर देवे तथा आरोपी उक्त नोटों को प्राप्त करके कहां रखता है इसका ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर ईशारा करे। इसके बाद दोनों गवाहों को भी हिदायत दी गई कि वे यथासम्भव परिवादी व आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का प्रयास करें साथ ही समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी आवश्यक हिदायतें दी गई। इसके बाद परिवादी एवं दोनो गवाहान को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को ढक्कन बंद करवाकर राकेश सिंह कानि. से वापस मालखाना में तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की शीशी को ट्रेप बॉक्स में स्वतंत्र गवाह के मार्फत उसके हाथ साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद राकेश सिंह कानि. से गिलास के धोवन को कार्यालय के अन्दर लैट बाथ में फिकवाया गया और काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा उसके दोनो हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से साफ करवाया गया तथा गिलास को कार्यालय में रखवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों यथा कांच की खाली शीशीयां मय ढक्कन, स्टील के कटोरो आदि को साबुन पानी से साफ करवाकर ट्रेप बोक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने–अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये। परिवादी को रिश्वत लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय वॉईस रिकॉर्डर (पैनड्राईव नुमा) को चालू व बन्द करने की विधि समझाया जाकर आवश्यक हिदायत सुपुर्द किया गया। फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तथा दृष्टांत फिनॉफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर शामिल पत्रावली की गई। समय 08:45 पी.एम. पर शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह धुलवाये जाकर आपस में एक–दूसरे की जामा तलाशी लिवाई गई एवं विभागीय परिचय पत्र व मोबाईल को छोडकर कोई वस्तु नही पाई गई तथा परिवादी को बताये गये रिश्वत स्वीकृति के ईशारे के बारे में बताया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान व टेप पार्टी सदस्यों के दो सरकारी वाहन बोलेरो व सरकारी मोटर मोटर साईकिल के मय सरकारी लेपटॉप–प्रिन्टर, ईयरफोन, ट्रेप बॉक्स आदि उपकरणो के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु नोटो पर पाउडर लगाने वाले श्री राकेश सिंह कानि. 268 को कार्यालय

में बाद हिदायत छोडा जाकर ए.सी.बी. कार्यालय करौली से रवाना होकर समय 10:10 ए.एम. पर कार्यालय पटवार मंडल सूरौठ के पास पहुंचा हूं परिवादी के बताये अनुसार परिवादी को सरकारी वाहन बोलेरो से बाद हिदायत आरोपी हीरासिंह पटवारी के कस्बा सूरौठ स्थित किराया के ऑफिस के लिये रवाना किया गया एवं स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों को बाद हिदायत सरकारी वाहनों से उतारा जाकर उचित दूरी बनाकर आरोपी पर नजर रख अपनी पहचान छिपाते हुये परिवादी के नियत ईशारे की प्रतिक्षा करने की हिदायत दी गई व मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी ट्रेप पार्टी के पीछे पीछे अपनी पहचान छिपाते हुये परिवादी के नियत ईशारे की प्रतिक्षा में खड़ा हुआ, समय 10:35 ए.एम. पर परिवादी ने आरोपी हीरासिंह पटवारी के किराया के ऑफिस से बाहर निकल कर मकान के सामने से ट्रेप पार्टी को देखकर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर रिश्वत स्वीकृति का निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों को ईशारा कर अपने साथ लेकर पास ही खडे परिवादी के पास पहुंचकर वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा व परिवादी ने पूछने पर बताया कि उपर प्रथम मंजिल पर हीरासिंह पटवारी अपने ऑफिस में कार्य करने की टेबल–कुर्सी पर सरकारी काम कर रहा है जिसने अभी अभी मेरे से रिलीज डीड का नामान्तरण खोलने के लिये मूल रिलीज डीड लेकर दिनांक 06.03.2022 को मांगे गये 2000 रुपये लेकर बिना गिने ही अपनी कार्य करने की टेबल की दराज मे रख लिये व नामांन्तरण खोलने के संबध मे बात की तो पटवारी ने दिनांक 21.03.2022 तक नामांतरण खोलने की कहा है। मैने हीरासिंह पटवारी की ऑफिस से बाहर निकलकर आपको देखकर इशारा कर दिया अभी पटवारी अपनी ऑफिस मे ही बैठा हुआ है, जिस पर परिवादी को हमराह साथ लेकर मय स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी के परिवादी के बताये अनुसार आरोपी पटवारी के ऑफिस मे पहुंचा जहां टेबल कुर्सी पर बैठे हुये व्यक्ति की तरफ इशारा कर बताया कि ये ही हीरासिह पटवारी है। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहीयान स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी का परिचय देकर उक्त व्यक्ति से नाम पता पूछा तो अपना नाम हीरा सिंह गंधार पुत्र अमृत सिंह, उम्र 27 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम जटवाड़ा, पुलिस थाना सूरौठ, जिला करौली हाल पटवारी, पटवार हल्का धंधावली, तहसील सूरौठ, जिला करौली होना बताया। आरोपी हीरासिह पटवारी से परिवादी श्री मोहनस्वरुप शर्मा से 2000 रुपये रिश्वत लेने के बारे मे पूछा तो पटवारी ने बताया कि अभी कुछ देर पहले मेरे पास ये आये थे जिन्होने ने मुझे मूल रिलीज डीड देकर अपनी श्रद्वा से 2000/–रुपये दिये जिनको मेने बिना गिने ही मेरी काम करने की टेबल की उपर की दराज मे रख दिये मेने जबरदस्ती रुपये नही लिये। दिनांक 06.3.2022 को भी मेरे पास आये थे उस दिन मुझे 1000 रुपये देकर गये व 2000 रुपये बाद मे देना बताया। इस पर परिवादी ने पूछने पर बताया कि मेरे ससुर साहब श्री भाग्यमल शर्मा का स्वर्गवास दिनाकं 14–1–21 को हो गया, जिनकी गावं सोहनपाल का पुरा तहसील सूरौठ मे करीब 55 बीघा कृषि भूमि है, ससुर के स्वर्गवास होने के बाद उनकी कृषि भूमि की देखभाल परिवादी द्वारा की जा रही है। उक्त कृषि भूमि का नामांतरण उनके बारीसान के नाम खुलवाया था। दिनांक 27–12–21 को प्रार्थी की पत्नी व अन्य बहिनो द्वारा अपने हिस्से की कृषि भूमि को अपने दोनो भाईयों विष्णु व मनीष के नाम रिलीज करा दी। मै दिनांक 26–2–22 को नामांतरण के संबंध मे हिण्डौन सिटी मे पटवारी से मिला जिस पर पटवारी ने 5000 रुपये देने के बाद रिलीज–डीड का नामांतरण खोलने की कहा, जिस पर मैने उसी समय पटवारीजी को 2000 रुपये दे दिये व शेष 3000 रुपये बाद में देने की कहा था। दिनांक 06.03.2022 को मेरे द्वारा एसीबी करौली में रिपोर्ट पेश करने पर उसी दिन डिप्टी साहब ने श्यामसिंह कानिस्टेबल को मेरे साथ रिश्वत मांग का सत्यापन हेतु भेजा था जिस पर मै इनके पास सूरौठ में आया तो प्रेमसिंह की दुकान पर मिले जिस पर मेने रिलीज डीड के नामांतरण के संबध में वार्ता की तो पटवारी द्वारा रिलीज डीड–कृषि भूमि का नामांतरण खोलने की एवज में 3000 रुपये मांगे जिस पर मैने पर्स नही होने का बहाना बनाकर 1000 रुपये दिये व 2000 रुपये बाद मे देने के लिये कहा था। आज कुछ देर पहले मैने पटवार घर सूरौठ के पास से पटवारी जी को फोन कर पूछा तो पटवारी जी ने अपने ऑफिस मे मुझे बुलाया जिस पर मै पटवारी के बारे मे पूछताछ कर वॉईस रिकॉर्डर चालू कर पटवारी जी के ऑफिस मे

आया व पटवारी जी से नामांतरण के संबध में वार्ता की तो पटवारी जी ने मूल रीलीज डीड देने की कहा जिस पर मैने मूल रीलीज डीड पटवारी को दे दी व दिनांक 06.03.2022 की मांग अनुसार पटवारी जी को 2000 रुपये दे दिये जिन्होने अपने हाथ मे लेकर बिना गिने ही टेबल की दराज मे रख दिये व दिनांक 21.03.2022 तक नामांतरण खोलने के लिये कहा था फिर मे पटवारी जी के ऑफिस से बाहर निकलकर मकान के सामने से आपको देखकर इशारा कर दिया। इसके पश्चात सरकारी वाहन से ट्रेप वॉक्स व पानी का केम्पर मंगवाकर ट्रेप वॉक्स में से स्टील का कटोरा निकलवाकर स्वतंत्र गवाह मनीष चन्द गुप्ता कनिष्ठ सहायक से स्टील के कटोरा को साबुन पानी से साफ धुलवाकर तहसील कार्यालय से पानी मंगवाकर कटोरा में साफ पानी भरवाकर ट्रेप वॉक्स में सोडियम कार्बोनेट का डिब्बा व चम्मच निकलवाकर स्टील के कटोरा में थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर चम्मच से हिलवाया गया और हाजरीन को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने उक्त घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी हीरासिंह पटवारी के दाहिने हाथ की उंगलियो व अंगूठा को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क RH-1 व RH-2 अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात पुनः उक्त स्वतंत्र गवाह से ही ट्रेप बॉक्स से दूसरा स्टील का कटोरा निकलवाकर कटोरा व चम्मच को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाकर थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर चम्मच से हिलवाया गया और हाजरीन को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने उक्त घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी हीरासिंह पटवारी के बांये हाथ की उंगलियो व अंगूठा को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क LH-1 व LH-2 अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री लालबहादुर चतुर्वेदी कनिष्ठ सहायक से आरोपी पटवारी की कार्य करने की टेबल की उपर दराज मे से एक कागज के उपर रखे मुडे हुये रखे 500–500 रुपये के नोटो को उठवाकर गिनवाया तो 500–500 के कुल 4 नोट कुल 2000 रुपये होना पाये गये। उक्त रिश्वत राशि के नोटो के नम्बरो का मिलान ए.सी.बी. कार्यालय करौली में तैयार की गई फर्द पेशकशी में अंकित नोटो के नम्बरो से दोनो स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तो नोटो के नम्बर हूबहू होना पाये गये, जिनका विवरण फर्द में अंकित करवाया जाकर नम्बरी रिश्वत राशि 2,000 रूपये को बजह सबूत एक सफेद कागज के साथ सिलवाकर सील मोहर कर कागज पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। स्वतंत्र गवाह मनीष चन्द गुप्ता कनिष्ठ सहायक के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाकर स्टील के कटोरा को साबुन पानी से साफ धुलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर के डिब्बा मे से थोडा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर पेन से हिलवाया गया और हाजरीन को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने उक्त घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया जिसमें आरोपी हीरासिंह पटवारी के कार्य करने की टेबल की ऊपर की दराज मे रखे कागज कम्प्यूटराईज्ड प्रिन्टेड जमाबंन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि) को जिस पर रिश्वत राशि रखी गई थी के स्थान को ट्रेप बॉक्स में से साफ रुई को फोहा निकलवाकर रुई के फोहा से रगडवाकर रूई के पोहा को उक्त घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क TD-1 व TD-2 अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। रूई के फोहा व रिश्वत राशि रखे जाने वाले कम्प्यूटराईज्ड प्रिन्टेड कागज जमाबंन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि) को एक कपड़े की थैली में रखा जाकर शील्ड मोहर किया जाकर मार्क TD अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके बाद आरोपी हीरासिंह पटवारी से परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज के बारे में पूछा तो बताया कि आज मोहनस्वरुप शर्मा द्वारा दी गई मूल रिलीज डीड मैने मेरे बैग मे रख दी है मै रीलीज डीड को एलआरसी तहसील में कम्प्यूटर से फीड करवाकर प्रिन्ट आउट लेकर मेरी रिपोर्ट कर गिरदार की

रिपोर्ट करवाकर दिनांक 21.03.2022 को ग्राम पंचायत की होने वाली मीटिंग मे फैसल करवाकर नियमानुसार नामान्तरण खोलता। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे वाईस रिकार्डर को लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता रिकार्ड होना पाई गई। वाईस रिकार्डर को मन उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखा गया। इसके बाद परिवादी व आरोपी से आपस में एक दूसरे से किसी प्रकार की रंजिश अथवा पैसे आदि के लेन–देन शेष होने बाबत पूछा तो परिवादी व आरोपी ने स्वेच्छा से किसी प्रकार की रंजिश या लेन देन होने से मना किया। फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। समय 01:05 पी.एम. पर परिवादी श्री मोहनस्वरुप शर्मा एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में परिवादी की निशादेही से घटनास्थल का नक्शा मौका व हालात मौका पृथक से कशीद किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 02:00 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहन व परिवादी एवं श्री धर्म सिंह तहसीलदार सूरौठ के सामने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज मांगने पर आरोपी हीरा सिंह गंधार पटवारी द्वारा अपने कार्य करने की टेबल पर रखे बैग में से वक्त रिश्वत लेन–देन परिवादी द्वारा पेश की गई मूल रिलीज डीड पेश की। जिसका अवलोकन किया गया, रिलीज डीड दिनांक 27.12.2022 जिसमें ललिता, सुनीता, सुषमा व रमादेवी रिलीजकर्ता (प्रथम पक्षगण) बहक मनीष व विष्णु रिलीजगृहीता (द्वितीय पक्षगण) है। उक्त रिलीज डीड के की नम्बरिंग करवाई गई तो जिसमें कुल 14 पेज है। उक्त मूल रिलीज डीड को जप्त करने से परिवादी का कार्य बाधित हो जायेगा इसलिए तहसीलदार सूरौठ को मूल रिलीज डीड सुपुर्द कर प्रमाणित फोटोप्रति पेश करने की कहने पर प्रमाणित फोटोप्रति पेश की। प्रमाणित फोटोप्रति रिलीज डीड पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत जप्त किया गया। तहसीलदार सूरौठ को परिवादी का नियमानुसार कार्य करने के निर्देश दिये गये। फर्द बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। समय 02:40 पी.एम. पर आरोपी हीरा सिंह गंधार पटवारी, पटवार हल्का धंधावली, तहसील सूरौठ, जिला करौली को जुर्म से आगाह कर धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में लिप्त पाये जाने पर परिवादी एवं तथ्यों से परिचित गवाहान को धमकाने एवं टेम्परविद करने का अंदेशा होने पर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी हीरा सिंह गंधार पटवारी के किराये के कमरा को आरोपी पटवारी द्वारा अपना ऑफिस बना रखा है। ऑफिस मे सरकारी रिकॉर्ड रखा हुआ होने के कारण कमरा को लॉक कर चाबी श्री निहाल सिंह धाकड गिरदावर ऑफिस कानूनगो तहसील सूरौठ जिला करौली को सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत दी गई। समय 03:30 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान, ट्रेप पार्टी सदस्य व गिरफ्तार शुदा अभियुक्त हीरा सिंह गंधार मय बरामद शुदा वजह सबूत माल के मय लेपटॉप, प्रिन्टर, एयरफोन, ट्रेप बॉक्स आदि उपकरणों के बाद ट्रेप कार्यवाही के दोनो सरकारी वाहन बोलेरो व सरकारी मोटर साईकिल के सूरौठ से रवाना होकर समय 04:40 पी.एम. पर ए.सी.बी. कार्यालय करौली पहुंच गिरफतार शुदा आरोपी हीरा सिंह गंधार पटवारी को कार्यालय निगरानी मे रखा जाकर ट्रेप कार्यवाही में जप्त/शील्ड शुदा नम्बरी रिश्वत राशि 2,000/–रू., धोवन की शील्ड शीशीयां मार्क RH–1, RH–2, LH–1, LH–2, TD–1, TD–2 व शील्ड पैकेट मार्क TD को जमा मालखाना करवाया गया व गिरफतार शुदा अभियुक्त हीरा सिंह गंधार पटवारी का सामान्य चिकित्यालय करौली स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। समय 06:30 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे वाईस रिकार्डर को स्वतत्रं गवाहान व परिवादी के समक्ष कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट करवा वाईस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत लेन देन वार्ता को कम्प्यूटर के डेस्कटॉप पर सेव करवाया जाकर कम्प्यूटर से टेबल स्पीकर कनेक्ट करवाकर डेस्कटॉप पर सेव रिश्वत लेन देन वार्ता को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में टेबल स्पीकर की मदद से सुना जाकर परिवादी मोहनस्वरुप शर्मा एवं आरोपी हीरा सिंह गंधार पटवारी के मध्य हुई रिश्वत लेन देन वार्ता दिनांक 08.03.2022 की गवाहान की मौजूदगी में परिवादी से पूछ–पूछ कर आवाज पहचान करवाकर फर्द रूपान्तरण तैयार किया गया एवं लेपटॉप की मदद से उक्त वार्ताओं की SONY कम्पनी की 3 DVD क्रमश मूल, मुल्जिम व आई.ओ. प्रति तैयार करवाई

जाकर मार्क ''B'' अंकित करवा मूल व मुल्जिम प्रति DVD को अलग–अलग सफेद कपडे की थैलियों में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं आई.ओ. प्रति DVD को कपडे की थैली में रखवाकर सिलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर फाईल पर रखा जाकर मूल व मुल्जिम प्रति शील्ड DVD मार्क B कुल 2 को जमा मालखाना करवाया गया। समय 10:10 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के सामने वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 06.03.2021 एवं रिश्वत लेन–देन वार्ता दिनांक 08.03.2022 में रिकार्ड आवाज का मिलान करवाने हेतु अभियुक्त हीरा सिंह गंधार पटवारी को वाईस सैम्पल देने हेतु कहा गया तो अभियुक्त ने स्वैच्छा से अपना वॉईस सैम्पल देने से इंकार किया। जिसकी फर्द असहमति नमूना आवाज तैयार कर शामिल पत्रावली की गई एवं अभियुक्त हीरा सिंह गंधार पटवारी का पूछताछ नोट तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 11:00 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 18 को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में पत्थर से तुडवा कर जरिये फर्द नष्ट किया गया। जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई एवं फर्द की एक प्रति स्वतंत्र गवाह श्री मनीष चन्द गुप्ता कनिष्ठ सहायक को बाद हिदायत सुपुर्द की गई। बाद सम्पन्न ट्रेप कार्यवाही के परिवादी श्री मोहन स्वरुप शर्मा एवं स्वतंत्र गवाहान श्री मनीष चन्द गुप्ता कनिष्ठ सहायक व श्री बहादुरलाल चतुर्वेदी कनिष्ठ सहायक को बाद सम्पन्न ट्रेप कार्यवाही के बाद हिदायत कर रूकसत किया गया।

अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से अभियुक्त हीरा सिंह गंधार पटवारी, पटवार हल्का धंधावली, तहसील सूरौठ, जिला करौली द्वारा स्वयं का लोक सेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी की पत्नी व अन्य बहिनो द्वारा अपने हिस्से की कृषि भूमि को अपने भाईयों विष्णु व मनीष के नाम रिलीज कराई गई कृषि भूमि का नामांतरण खोलने की एवज में दिनांक 06.03.2022 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन 3000 रूपये रिश्वत की मांग करने पर 1000 रुपये प्राप्त कर व शेष 2000 रूपये रिश्वत की और मांग करना एवं उक्त मांग की अनुशरण में दिनांक 08.03.2022 को स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। अभियुक्त हीरा सिंह गंधार पटवारी द्वारा परिवादी श्री मोहनस्वरुप शर्मा से कस्बा सूरौठ में स्थित अपने किराये के ऑफिस में मूल रिलीज डीड प्राप्त कर परिवादी से 2000 रूपये प्राप्त कर अपने हाथ मे लेकर बिना गिने ही टेबल की दराज मे रख दिये, परिवादी के ईशारे पर ट्रेप पार्टी आरोपी के कस्बा सूरौठ में स्थित किराये के ऑफिस में पहुच कर रिश्वत राशि को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास वक्त ट्रेप कार्यवाही परिवादी का कार्य पैण्डिग होना पाया गया। परिवादी के कार्य से सम्बन्धित मूल प्रतियां तहसीलदार सूरौठ जिला करौली को सुपुर्द कर प्रमाणित प्रतियां जप्त कर शामिल पत्रावली की गई। अतः अभियुक्त हीरा सिंह गंधार पुत्र अमृत सिंह, उम्र 27 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम जटवाड़ा, पुलिस थाना सूरौठ, जिला करौली हाल पटवारी, पटवार हल्का धंधावली, तहसील सूरौठ, जिला करौली का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

(सुरेन्द्र कुमार शर्मा)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
करौली।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) अभियुक्त श्री हीरा सिंह गंधार, पटवारी, पटवार हल्का धंधावली, तहसील सूरौठ, जिला करौली के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 78/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

9.3.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 700-04 दिनांक 9.3.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, करौली।
4. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली।

9.3.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।